एसपीआरईई योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : सुनील यादव

आगामी 31 जुलाई तक होगा पंजीकरण।

कुमार प्रवेश, गुड़गांव टुडे

गुरुग्राम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना सामजिक सुरक्षा दायरा बढाने के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एसपीआरईई योजना-2025 शुरू की है। गत 27 जून को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में शिमला में हुई ईएसआईसी की 196वीं बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गयी थी। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी। इस अवधि के दौरान अपंजीकृत नियोक्ताओं को एक बार फिर से पंजीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजीटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण से बचे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर और पिछली देनदारियों से छूट प्रदान कर यह योजना नियोक्ताओं को अपना कार्यबल नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ईएसआईसी के उप-निदेशक सुनील यादव ने बताया कि यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। उन्होने बताया कि यह योजना फैक्ट्रियां, होटल और रेस्टोरेंट, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल व क्लीनिक, नगर निगमों के ठेका/कैजुअल कर्मचारी, ठेके पर अस्थायी और दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिक, दुकानें व शोरुम, सिनेमा हाल, अखवार व मीडिया संस्थान, निजी स्कूल व कॉलेज में कार्यरत लोगों के लिए है। योजना की विशेषताओं में 10 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों के लिए एकमुश्त पंजीकरण की सुविधा, पंजीकरण की तिथि वही मानी जाएगी जो नियोक्ता घोषित करे, नियम व शर्तों के अनुसार पिछली अवधि का कोई योगदान या दायित्व नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध आदि शामिल है। एसपीआरईई योजना-2025 व्यवसाय की सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही एक संरक्षित भविष्य का संकल्प भी देती है।